

लोकअदालत

सत्र-2019

दस्ता सं०:-

आदेश फलक :-

विधि वाद सं०

52 / 2017

द. प्र० सं० 107

आरवड सकार संजाम : वाकेवा कुले +3

वाक हाग्वित अन्तर्गत न्यायालय

अक्रमप दाडाधिकारी शहर मेदिनीनगर


वाद की तिथि


आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।  
विधि वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष  
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतित होता है कि दोनों  
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न  
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतित होता है । अतः  
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक  
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।

  
सदस्य

  
सदस्य